

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

फोन:- 0141-5110736

सी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

फैक्स:- 0141-5110736

क्रमांक: प.() / मु.अ. / चि.एवं.स्वा. / 2013-14 / 204

दिनांक:- 22.4.2013

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना - 02/2013-14

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य भवन जयपुर के A & B ब्लॉक में एयरकूलिंग कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के ई.ए.सी. प्रथम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हैं, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्य का दोष निवारण अवधि 3 वर्ष होगी।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर राशि (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय
1.	जयपुर	स्वास्थ्य भवन जयपुर के A & B ब्लॉक में एयरकूलिंग का कार्य	90.00	1.80	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं का भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ।

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ जयपुर A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 01.05.2013, बुधवार, समय 9:00 बजे से 21.05.2013 मंगलवार सांय 6:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर 23.05.2013 गुरुवार 6:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर के कार्यालय में 24.05.2013 शुक्रवार को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।

यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।

(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
5. अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर के कार्यालय में संवेदक द्वारा 01.05.2013, बुधवार, समय 9:00 बजे से 21.05.2013 मंगलवार सांय 6:00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ जयपुर A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी, के पक्ष में बनाया जायेगा। निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर कार्यालय में 24.05.2013 शुक्रवार अपराह्न 1:00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
10. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित राशि	:	निविदा शुल्क
50 से 150 लाख तक	:	1000/- रुपये
14. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
15. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
16. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
 - अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
 - ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
 - य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
 - र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।

अधीक्षण अभियंता,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।